UPSI010036622026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

उपस्थितः–आशीष जैन, एच.जे.एस.

सी.आई.एस.नं.–1581/2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–665/2026

शुभम उम्र 23 वर्ष पुत्र राजसिंह निवासी लोनियन पुरवा, थाना कोतवाली नगर, जिला सीतापुर।

आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार। अभियोजक।

मु०अ०सं०–84/2026
धारा 109(1),191(2),
191(3),190 बी०एन०एस०
थाना–महोली, जिला सीतापुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक/अभियुक्त शुभम के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसे आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना है, इसी आशय का पृष्ठांकन उनके द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर किया गया है। अभियोजन की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त शूभम की ओर से प्रस्तुत मु०अ०सं०–84/2026, अन्तर्गत धारा 109(1),191(2),191(3),190 बी०एन०एस०, थाना महोली, जिला सीतापुर से सम्बन्धित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक–11.06.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code–UP–2024

Dheer/–

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.06.11 17:29:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur